

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3 /विधि-01-07/2026-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को NEET PG-2025 के काउंसिलिंग/नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में चिकित्सको के द्वारा NEET PG अध्ययन हेतु विगत वर्षों में विभागीय अनुमति के पश्चात अध्ययनरत नहीं रहे हो-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	जन्म तिथि
1	2	3
1	डा० राजेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराहाट, बाँका	15 09 93
2	डा० मगता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजेन्द्र नगर, पटना	25 04 96
3	डा० मनीष कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, पुरनहिया, शिवहर	17 12 93
4	डा० मो० मोहसिन, चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अस्पताल, सिवान	09 03.80
5	डा० हर्ष, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा	29 05 89
6	डा० रजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लदनियाँ, मधुबनी	11 07 89
7	डा० मिथिलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा	19 03 93
8	डा० अतहर हुसैन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	10 12 86
9	डा० दिव्या, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, तारडीह, दरभंगा	01 12 91
10	डा० अनुभव, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, घनश्यामा चक, सखुआ, सन्हैला, भागलपुर	02 05 95
11	डा० शकील अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटरा, मुजफ्फरपुर	28 10 88
12	डा० अभिषेक आनन्द, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, बेगुसराय	15.02 91
13	डा० मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, सदेश, भोजपुर	29 05 94
14	डा० पुनिता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा	10 10 92
15	डा० बालमुकुन्द कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा	16 05 96
16	डा० सरस्वती सुमन, चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा	25 02.96
17	डा० शेफालिका, चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा	27 02 95
18	डा० संदीप कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर	16 02 91
19	डा० ललित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालदा	26 07 90
20	डा० अक्षय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, डुमरा, सीतामढी	01 12 82

93(3)
28/01/26

02 राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय राकल्प सं० 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं० 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03 उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को अनुमति मात्र पी०जी० पाठयक्रम हेतु प्रदान की जा रही है ।

04 उक्त चिकित्सा अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियत्री पदाधिकारी से विधिवत विरगित होना सुनिश्चित करेंगे ।

05 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापाक

93(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 28/01/26

प्रतिलिपि महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एव 17/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू० लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

W. K. Singh
सरकार के उप सचिव